

07/10/16

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 02/12/16 को पेश हो।

2/12/16

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 19/12/16 को पेश हो।

19-12-16

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश को पालना होकर मिसल
दिनांक 20-3-17 को पेश हो।

20/3/17
21/3/17

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 17/5/17 को पेश हो।
दिनांक 20/3/17 को सबकाश

17/5/17

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 21/8/17 को पेश हो।

21/8/17

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 30/10/17 को पेश हो।

30/10/17

अमि. अक्षीलान्त / रेसों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 10/1/18 को पेश हो।

10/1/18

पत्रावली प्रकृत हुई। आधिकारिक दस्तावेज उपस्थित/
आधिकारिक गणने ने अवरगत कराया है इस 225
शिल्ल्यान की शकरी आधे निपम की डायरी से
सम्बन्धित मूल पास को आधिकारिक दस्तावेज

अमि.
अक्षीलान्त
रेसों

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	89 <u>2009</u>	मेवाराम कुलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-------------------	---	--

द्वारा निर्णित कर दिया गया है जिससे यह
 अपील सारहीन हो गई है। इसलिसे स्वार्थ
 फरमाई जावे। कानूनानुसार के कानूनानुसार
 युवी इस 225 राजस्वान कार्तकारी कानूनानुसार
 की अपील से सम्बन्धित मूल दावे का निस्तारण
 ही कानूनानुसार द्वारा किया जा चुका
 है। अतः अब यह अपील सारहीन हो गई
 है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने
 से स्वार्थ की जाती है। तदनुसार पत्राचार
 फौजदारी हुक्म होकर बाद तत्काल कार्रवाई
 स्वतंत्र हो। आदेश सुनाया गया।